न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर
दीवानी वादी संख्या 18/2026
अनिल मित्तल उर्फ प्रार्थना मित्तल बनाम प्रवीण गर्ग व अन्य

08.04.2026

अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता वादिया की ओर से आज एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 153 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अधिवक्तागण प्रतिवादीगण को दिलाई गई, जिन्होंने प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश नहीं कर मौखिक बहस का निवेदन किया।

बहस सुनी गई।

बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता वादिया ने निवेदन किया कि वादिया के पिता का नाम बेनीगोपाल के स्थान पर बेणुगोपाल एवं गवाह राजेश गोयल प्रतिपरीक्षण में प्रतीक्षा के स्थान पर प्रतीज्ञा सहवन से अंकित किये गये हैं। उक्त त्रुटियों की जानकारी बहस की तैयारी के दौरान वादिया व उसके अधिवक्ता को होने के कारण यह प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र में अंकितानुसार उक्त त्रुटि को दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

बहस के दौरान विद्वान अधिवक्तागण प्रतिवादीगण ने प्रार्थना–पत्र का निस्तारण विधिनुसार किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि **पी.डब्ल्यू 1 श्रीमती अनिल मित्तल उर्फ प्रार्थना मित्तल** के प्रतिपरीक्षण में पृष्ठ संख्या–2 की पंक्ति संख्या 14 में, पृष्ठ संख्या–3 पर पंक्ति संख्या–13 में, पृष्ठ संख्या–5 पर पंक्ति संख्या–03 में, प्रतिपरीक्षण दिनांक 09.09.2025 के पृष्ठ संख्या–2 पर पंक्ति संख्या–02 व 05 में,पृष्ठ संख्या–4 की नीचे से पंक्ति संख्या–02 में, **गवाह डी.डब्ल्यू 2 प्रतीक्षा गोयल** के दिनांक 16.09.2025 को हुए प्रतिपरीक्षण के पृष्ठ संख्या–1 की पंक्ति संख्या 7 में, पृष्ट संख्या 2 की पंक्ति संख्या 7 में, पृष्ठ संख्या 3 की पंक्ति संख्या 2 व 7 में, पृष्ठ संख्या 5 की पंक्ति संख्या 8 व 10 में, पृष्ठ संख्या 8 की पंक्ति संख्या 6 व 6 में, गवाह डी.डब्ल्यू 3 राजेश गोयल के प्रतिपरीक्षण दिनांक 07.10.2025 के पृष्ठ संख्या 2 में नीचे से पंक्ति संख्या 2 में, पृष्ठ संख्या 3 में पंक्ति संख्या 4 व 5 में, इसी गवाह के प्रतिपरीक्षण दिनांक 14.10.2025 के पृष्ठ संख्या 1 की पंक्ति संख्या 9, 10 व 12 में, पृष्ठ संख्या 2 की पंक्ति संख्या 4, 6, 8, 11, 14, 16 में, पृष्ठ संख्या 3 में पंक्ति संख्या 1, 3, 9, 11, 15 में, पृष्ठ संख्या 4 में पंक्ति संख्या 7 में, पृष्ठ संख्या 5 में पंक्ति संख्या 10 व 17 में, पृष्ठ संख्या 6 में पंक्ति संख्या 2, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 22 में, पृष्ठ संख्या 7 की पंक्ति संख्या 1, 3, 9 व 10 में अंकित नाम **" बेणुगोपाल के स्थान पर बेनीगोपाल ", गवाह डी.डब्ल्यू 3 राजेश गोयल** के प्रतिपरीक्षण दिनांक 07.10.2025 के पृष्ठ संख्या 1 में पंक्ति संख्या 8 में, पृष्ठ संख्या 5 में पंक्ति संख्या 13, गवाह डी.2 डब्लयू 3 के प्रतिपरीक्षण के पृष्ठ संख्या

4 की पंक्ति संख्या 5, 6 व 12 में, अंकित नाम **" प्रतिज्ञा के स्थान पर प्रतीक्षा "** को लाल स्याही से दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थना–पत्र में वर्णित त्रुटि लिपिकीय प्रकृति की होकर सद्भाविक है, जिसमें संशोधन से किसी भी पक्ष के विधिक अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः वादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 153 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र में वर्णित संशोधन लाल स्याही से किये जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 18.04.2026 को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर